झारखण्ड विधान सभा

ध्यानाकर्षण सूचना

चतुर्थ झारखण्ड विधान–सभा
अष्टम् (बजट)सत्र

निम्नलिखित ध्यानाकर्षण– सूचनायें झारखण्ड विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य–संचालन के नियम– 147 के अन्तर्गत दिनांक– 30.01.2017 के लिए माननीय अध्यक्ष महोदय द्वारा स्वीकृत की गयी हैं :–

क्र0सं0	सदस्य का नाम	विषय	विभाग
01.	02.	03.	04.
01–	श्री राधाकृष्ण किशोर, स0वि0स0	पलामू किला, कबरा कला (पलामू तेलियागढ़ी किला (राजमहल), टांगीनाथ (गुमला), सूरज कुंड (हजारीबाग), वंशीधर मंदिर (गढ़वा) जैसे अनेको पुरातात्विक महत्व के धरोहर झारखण्ड प्रदेश में विद्यमान है। राज्य पुरातात्विक विभाग के कमजोर आधारभूत संरचना के कारण ऐसे पुरातात्विक महत्व के धरोहरों का क्षरण हो रहा है। दूसरी और राज्य के सभी विश्वविद्यालय में अलग से पुरातत्व एवं संग्रहालय विज्ञान का पद सृजीत नहीं होने के कारण इन विश्वविद्यालयों में व्याख्याता की नियुक्ति नहीं की जा रही है। परिणामस्वरूप विश्वविद्यालय स्तर पर पुरातत्व एवं संग्रहालय विज्ञान के पद सृजीत नहीं होने के कारण न तो कोई शोध कार्य हो पा रहा है और ना ही इस दिशा में कोई गतिविधि हो पा रही है। अतः मैं राज्य में राँची विश्वविद्यालय सहित सभी विश्वविद्यालयों में राज्य पुरातत्व एवं संग्रहालय विज्ञान विभाग का सृजन करने एवं आधारभूत संरचना को मजबुत करने हेतु सरकार का ध्यानआकृष्ट कराना चाहता हूँ।	उच्च एवं तकनीकी शिक्षा

कृ0पृ030

01.	02.	03.	04.
02-	श्री अरूप चटर्जी एवं श्री राजकुमार यादव स0वि0स0	राज्य को भू-दान में लगभग 15 लाख एकड़ भूमि प्राप्त हुआ था तथा एवं राज्य में भी भू-दान यज्ञ अधिनियम 1954 पूर्णरूप से लागू था। इस अधिनियम के उद्देश्यों की पूर्त्ति हेतु वर्ष 2002 में सरकार द्वारा एक समिति का गठन किया गया था परन्तु सरकार इस अधिनियम के लक्ष्य को प्राप्त करने में पूर्णरूप से विफल रही क्योंकि भू-दान के इस भूमि का भू-माफियाओं द्वारा व्यापक पैमाने पर अवैध हस्तानान्तरण किया गया एवं सरकार द्वारा भी माननीय सर्वोच्च न्यायालय के आदेश और फैसले की अवहेलना कर हजारों एकड़ भूमि N.G.O. को दे दी गई और इस पर सरकारी भवन विश्वविद्यालय बना दिये गये है, इसलिए वर्ष 2014 में सर्व सेवा संघ ने सरकार से भू-दान यज्ञ कमिटी बना कर भू-दान की भूमि को भूमिहीनों में बांटने के लिए अनुरोध किया था, जिसपर अबतक कार्रवाई नहीं हो पाया है, जबकि वर्त्तमान समय में N.P.R. के अनुसार राज्य में 2.00 लाख अनुसूचित जनजाति लगभग 3.50 लाख अनु0जाति तथा 5.00 लाख पिछड़ी जाति के लोग भूमिहीन है। अतः सरकार भू-दान के भूमि में हुई इस बन्दरबाँट पर एक स्वतंत्र, निष्पक्ष -सह-उच्चस्तरीय जाँच समिति गठन कर इसकी जाँच करायें तथा इसमें संलिप्तों पर विधि-संवत् कार्रवाई के साथ राज्य में अविलम्ब भू-दान यज्ञ कमिटि गठन करने संबंधी विषयों पर हम सदन का ध्यान आकृष्ट करते हैं।	राजस्व निबंधन एवं भूमि सुधार
03-	सर्वश्री नारायण दास, ताला मराण्डी एवं श्री अमित कुमार मंडल, स0वि0स0	"देवघर जिलान्तर्गत दिघरिया पर्वत राज्य की ऐतिहासिक स्थल है, जिनका संरक्षण/संवर्धन तथा सौन्दर्यीकरण करना अत्यावश्यक है, क्योंकि दिघरिया पर्वत स्वतंत्रता प्राप्ति हेतु लड़ाई का एक प्रमुख केन्द्र रहा है, जहाँ से देश के वीर सपूतों ने आजादी की लड़ाई हेतु अपना एक प्रमुख स्थान बनाया था। इस पर्वत को पर्यटन केन्द्र के रूप में विकसित करना पर्यटकीय दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है। इस स्थान पर पहूँचने के लिए देवघर शहर और जसीडिह जक्शन द्वारा सड़क मार्ग द्वारा यातायात हेतु सुगम सुविधा भी उपलब्ध है।"	पर्यटन, कला, संस्कृति खेलकूद एवं युवा कार्य

		अतः सरकार से माँग है कि दिघरिया पर्वत,जो ऐतिहासिक एवं महत्वपूर्ण स्थल है, उसे पर्यटन स्थल के रूप में संरक्षण एवं सौन्दर्यीकरण कर विकसित करने हेतु सदन के माध्यम से सरकार का इस ओर ध्यान आकृष्ट करना चाहते हैं।	
04-	श्री रवीन्द्रनाथ महतो एवं श्री नलिन सोरेन स0वि0स0	जामताड़ा जिला मुख्यालय में भूमि उपलब्धता की रिपोर्ट विभाग को भेजने के बावजूद भी अभी तक पुलिस केन्द्र निर्माण हेतु कोई कार्रवाई नहीं हुआ है, वर्त्तमान में पुलिस जवानों को जिला समाहरणालय के बेसमेंट में निर्मित दो हॉल में आवासित किया गया है, जो सुरक्षा के दृष्टीकोण से असुरक्षित है और मूलभूत सुविधाओं से भी वंक्षित है। अतः शीघ्र ही जिला मुख्यालयों में पुलिस केन्द्र निर्माण करने हेतु सरकार का ध्यान आकृष्ट कराना चाहते है।	गृह, कारा एवं आपदा प्रबंधन
05-	श्री योगेन्द्र प्रसाद एवं श्री दशरथ गागराई स0वि0स0	बोकारो जिला अन्तर्गत गोमिया प्रखण्ड के सरहचिया पंचायत में नवनिर्मित आई0टी0आई0 कॉलेज विगत 05 वर्षो से बनकर तैयार है। आई0टी0आई0 कॉलेज में शिक्षण कार्य प्रारम्भ होने से उग्रवाद प्रभावित इस पूरे ईलाके एवं आस-पास के छात्र-छात्राओं को स्किल्ड डेवलपमेंट की शिक्षा पाने में काफी सुविधा होगी। अतः उक्त आई0टी0आई0 कॉलेज में शिक्षण कार्य अतिशीघ्र प्रारम्भ करने के औचित्य पर सरकार का ध्यानाकृष्ट कराना चाहते हैं।	श्रम, नियोजन, प्रशिक्षण एवं कौशल विकास

राँची,
दिनांक- 30 जनवरी, 2017 ई0।

बिनय कुमार सिंह
प्रभारी सचिव,
झारखण्ड विधान सभा, राँची।

कृ0पृ030/-

ज्ञाप सं0-ध्या0 एवं अना0प्र0-01/2017-.....1090...../वि0 स0, राँची, दिनांक- 29/01/17

प्रतिः- झारखण्ड विधान सभा के मा0सदस्यगण/ मा0मुख्यमंत्री/ एवं अन्य मंत्रिगण/ मुख्य सचिव, झारखण्ड सरकार, राँची/ मा0 राज्यपाल के प्रधान सचिव/ लोकायुक्त के आप्त सचिव/ महाधिवक्ता उच्च न्यायालय राँची/ उच्च एवं तकनीकी शिक्षा विभाग/राजस्व, निबंधन एवं भूमि सुधारविभाग/पर्यटन, कला संस्कृति, खेलकूद एवं युवा कार्य विभाग/गृह, कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग एवं श्रम, नियोजन, प्रशिक्षण एवं कौशल विकास विभाग को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

29/01/17

(एस शिराज वजीह बंटी)
उप सचिव,
झारखण्ड विधान सभा, राँची।

ज्ञाप सं0-ध्या0 एवं अना0प्र0-01/2017-.....1090...../वि0 स0, राँची, दिनांक- 29/01/17

प्रतिः- आप्त सचिव, अध्यक्षीय कार्यालय/आप्त सचिव, सचिवीय कार्यालय को क्रमशः मा0 अध्यक्ष महोदय एवं प्रभारी सचिव के सूचनार्थ प्रेषित।

29/1/17

उप सचिव,
झारखण्ड विधान सभा, राँची।

संजय/

29.01.17